दण्ड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) : महत्वपूर्ण वाद निर्णय

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का विस्तार भले ही जम्मू-कश्मीर राज्य पर नहीं, लेकिन पित के जम्मू-कश्मीर में आयकर विभाग में पदस्थ होने मात्र से भरण-पोषण की राशि के लिए उसके वेतन को कुर्क करने से रोक नहीं होगा और वह पत्नी के भरण पोषण के दायित्व से बच नहीं सकता है।

|माधव कुमार बनाम सुदेश कुमारी AIR 1974 S.C.|

 अपर जिला मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट से ठीक नीचे की श्रेणी का अधिकारी होता है। यह जिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को देखता है। इस पद पर केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ही नियक्त किया जा सकता है।

अजायब सिंह बनाम गुरुवचन सिंह IAR 1965 S.C.]

 शब्द 'फरार' को न्यायालय की भाषा में 'मफरुर' भी कहा जाता है।
फरार हो जाने से अभिप्राय है— अपने आपको गिरफ्तारी से छिपाना और इसके लिए अपने सामान्य निवास अथवा कारोबार के स्थान को छोड़कर अन्यत्र चला जाना।

|गौरी शंकर बनाम बिहार राज्य (1973) Cr. L.J.|

 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-8 (परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति) के उपबन्ध लोक हित में होने के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रतिकूल नहीं है।

|मधुलिमये बनाम एस.डी.एम. मुंगेर (1971) Cr. L.J.|

अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभिरक्षा (Police Custody: रिमांड) 15 दिनों से अधिक की नहीं हो सकेगी, यदि आवश्यक हुआ तो इसके बाद अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा (Judicial Custody) में रखा जाएगा।

|देवेन्द्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य AIR 2010 S.C.|

 संक्षिप्त विचारण केवल उन्हीं अपराधों का किया जा सकता है जो धारा 260 द.प.सं. की सूची में आते हैं। कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसे किन्हीं अपराधों का संक्षिप्त विचारण नहीं कर सकता जो इस सूची में नहीं आते हैं।

|बलवंत सिंह बनाम एम्परर (1993) Cr. L.J.|

- पुलिस अधिकारियों का पद अत्यन्त जिम्मेदारी का होने के कारण उनका आचरण भी उनके पद के अनुरूप होना चाहिए। पुलिस द्वारा किसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना तथा उस पर वल का प्रयोग या हमला करके उसे हथकड़ी लगाना किसी भी दशा में शोभनीय व्यवहार नहीं कहा जा सकेगा। |दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य AIR 1991 S.C. 2176|
- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के प्रावधान सभी धर्मावलिय्यों पर एकसमान लागू होते हैं। अतः मुस्लिम महिला भी इसके अन्तर्गत भरण पोषण की मांग कर सकती है।

|मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम (1985)|

- अन्तरिम भरण-पोषण का आदेश विचारण काल के दौरान दिया जा सकता है और वह मामले के अन्तरिम निस्तारण तक प्रभाव रखता है। ऐसा आदेश तभी दिया जा सकता है जब पित अपने पत्नी के साथ सम्बन्धों को स्वीकार करता हो। अन्तरिम भरण-पोषण की राशि का निर्धारण करते समय पक्षकारों की आय को ध्यान में रखना आवश्यक है। श्रीमती सावित्री बनाम गोविन्द सिंह रावत (1986)।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत दिए गए आदेश पर यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो याचिका दायर की जा सकती है।

[शीलम रमेश बनाम ए.पी. राज्य (1999)]

 प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं होती अर्थात् इसे उन तथ्यों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता जिसका उल्लेख एफ.आई.आर. में किया गया है।

[अमर सिंह गौड़ बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2007)]

 'वस्तुतः जमानत एक नियम है तथा निरोध यानि जेल उसका एक अपवाद' (The Bail is rule but jail is exception)। किसे व्यक्ति को अपने मन में यह संदेह नहीं रखना चाहिए कि जमानतीय अपराध की दशा में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा किन्तु अजमानतीय अपराध की दशा में अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा।

[मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश (1978)]

 उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लम्बित मामलें में किसी भी प्रक्रम में अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। ।पी. विजय रेड्डी बनाम राज्य (1974)।

 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की शक्ति करने का दिशा-निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिये।

[हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992)]

 माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत एक सीमित समय के लिए ही दी जाये।

|गुरुबक्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980)|

उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय को ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकता है कि यदि अभियुक्त उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है, तो सत्र न्यायालय उसे उसी दिन जमानत प्रदान कर दे। उच्च न्यायालय का ऐसा आदेश अवैध है। जमानत प्रदान करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतयासत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

|मदन मोहन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (2017)|

मुस्लिम महिला (तलाक के पश्चात् अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986

उच्चतम न्यायालय द्वारा ''शाहबानों के वाद'' में दिये गये निर्णय की प्रतिक्रियास्वरुप मुस्लिम समुदाय ने घोर विरोध प्रकट किया गया और इस निर्णय को मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत कानून) में सीधा हस्तक्षेप माना। अन्ततः संसद ने 'मुस्लिम महिला (तलाक के पश्चात् अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986' पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार मुस्लिम महिलाओं के प्रति भरण-पोषण सम्बन्धी उपबन्ध अब निम्नानुसार होंगे—

- इद्दत की अविध तक पित पर तलाक दी गई पत्नी के भरण-पोषण का दायित्व होगा।
- इद्दत के बाद वह अपने माता-पिता या रिश्तेदारों से भरण-पोषण पाने की हकदार होगी जो मुस्लिम विधि के अनुसार उसकी सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगे।
- यदि ऐसे रिश्तेदार भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं तो वह सम्बन्धित राज्य के वक्फ बोर्ड से भरण-पोषण प्राप्त करेगी।
- वह मेहर की बकाया राशि तथा अपने रिश्तेदारों से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति को पाने की हऋदार होगी।

परीक्षा रिफ्रेशर/विधि एवं सामान्य ज्ञान / [46]